बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (सहरसा) 02–34/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बनमा ईटहरी–सह–प्रभारी अंचल अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के विरूद्ध अतिक्रमण वाद संख्या–10/2022–23 में लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा–6(1) के अंर्तगत आदेश पारित नहीं करने जबकि उक्त वाद में दिनांक–01.12.2022 की तिथि में लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा–6(1) के अन्तर्गत आदेश पारित करने, गलत तथ्य देकर उच्चाधिकारी को गुमराह किया गया, जिसके कारण CWJC No- 17745/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में गलत प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन समाहर्ता, सहरसा द्वारा ओथ लिया गया के संदर्भ में में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1626(15) दिनांक–02.09.2025 से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा समाहरणालय, बांका के कार्यालय पत्रांक–1608/भू–अर्जन, दिनांक–16.09.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–2078(15) दिनांक–19.12.2025 से समाहर्त्ता, सहरसा से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में समाहर्त्ता, सहरसा का पत्रांक–664–2/रा0 दिनांक–02.03.2026 द्वारा मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समाहर्त्ता, सहरसा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सहरसा** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, सहरसा/अपर समाहर्त्ता, सहरसा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा/श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बनमा ईटहरी–सह–प्रभारी अंचल अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा **सम्प्रति अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बांका** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (सहरसा) 02–34/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, सहरसा एवं बांका/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा/श्री रंजीत कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (सहरसा) 02–34/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सहरसा को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (सहरसा) 02–34/2024–948(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–03/07/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/7/26

(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।